**खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग में सुधार**

1822. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** क्या ग्रामीण पुर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खादी और ग्रामीण उद्योग की कार्य कुशलता में सुधार लाने की आवश्यकता के बारे में सरकार के क्या विचार है ?

**कृषि तथा ग्रामीण पुर्ननिर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) :** सरकार खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की कार्य-कुशलता में सुधार लाने की आवश्यकता के बारे में पूर्णत: जागरूक है ताकि इसे ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर तथा घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए वास्तव में ही प्रभावकारी तंत्र बनाया जा सके । कुछ समय पहले आयोग के कार्य-करण की जांच करने और उपयुक्त सिफारिशें देने हेतु दो कार्यकारी दल स्थापित किए गए थे । इन कार्यकारी दलों द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है । आयोग की कार्य-कुशलता में सुधार लाने के लिये सरकार के विचाराधीन कुछेक महत्वपूर्ण उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(क) आयोग को अपनी वर्तमान भूमिका में परिवर्तन करना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां तैयार करने में अपना अधिक से अधिक योगदान देना चाहिए और अपने द्वारा सहाय्यित एककों को प्रशिक्षण, औजारों व उपकरण कच्चे माल एवं विपणन सहायता के रूप में आवश्यक निवेश जहां राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड इन्हें सुलभ नहीं कर सकते हैं, सुलभ करने चाहिएं ।

(ख) राज्य सरकारों को इन कार्यक्रमों के लिए राज्य बजटों में प्रावधान करके प्रत्यक्ष रूप से खादी तथा ग्रामोद्योग की गतिविधियों में भाग लेना चाहिए ।

(ग) राज्य बोर्डों जो खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए मुख्य तंत्र है, को उपयुक्त उपायों द्वारा मजबूत बनाना चाहिए ।

(घ) आयोग तथा राज्य बोर्डों दोनों में अधिकारियों का चयन करते समय विशिष्टता तथा व्यवसाय में विशेषज्ञता पर बल दिया जाना चाहिए ।

(ङ) आयोग को खण्ड, जिला तथा राज्य स्तर पर इसी प्रकार की गतिविधियों में लगी अन्य विकेन्द्रीकृत ऐजेंसियों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने चाहिएं ।

(च) आयोग को ग्रामोद्योगों के लिए उपयुक्त प्रोद्योगिकी का विकास करने के लिए अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि कड़ी मजदूरी को कम किया जा सके और उत्पाद की क्वालिटी में सुधार किया जा सके ।

(छ) पिछड़े इलाकों में आयोग को उद्यमशीलता का विकास करने के लिए उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने चाहियें ।

(ज) आयोग के प्रशासनिक तथा तकनीकी खण्डों को सुदृढ़ किया जा रहा है । ध्यान में लाई गई त्रुटियों को पहले ही पूरा किया जा चुका है ।

(झ) विशिष्ट व्यावसायिक तथा तकनीकी योग्यता वाले व्यक्तियों की भर्ती सुनिश्चित करने तथा विकास की पर्याप्त गुंजाइश सुलभ करने के लिए विभिन्न प्रकार के वरिष्ठ पदों के भर्ती-नियमों में संशोधन किया जा रहा है ।

(ण) सामान्य कर्मचारियों के मनो-बल में सुधार करने के लिए विद्यमान वेतन-मानों आदि की पुन: जांच की जा रही